अतिआवश्यक

संoसंo–11/आoप्रoकोo(विविद्य)05/2012........309 (11) (601)

निदेशालय
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार

प्रेषक

डाo शशि रानी,
निदेशक प्रमुख (आपदा)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक, सभी चिकित्सा संस्थान, पटना
सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पटना/दिनांक– 27.04.2017

विषय :– **आग से होने वाले संभावित दुर्घटनाओ में हताहतों के उपचार हेतु राज्य के अस्पतालों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य में इस समय भीषण गर्मी एवं गर्म हवाओं से प्रभावति हैं। इस दौरान आग से होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्दि की संभावना रहती है तथा आग से झुलसने एवं जलने की दूर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों के अस्पताल में ईलाज हेतु आने का क्रम ज्यादा हो जाता हैं।

उक्त आग से दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को उपचार उपलब्ध कराने हेतु निम्न कार्रवाईयॉ सुनिश्चित की जाय :–

1. बर्न विभाग/कक्ष (Burn Department/Ward) को सक्रिय करते हुए विभागाध्यक्ष/ वरीय चिकित्सा पदाधिकरियों एवं पाराकर्मियों को उक्त के संबंध में विशेष सतर्कता बर्तने हेतु निर्देशित किये जाये एवं पाली के अनुरूप बर्न विभाग/कक्ष (Burn Department/Ward) के चिकित्सक एवं पाराकर्मी कार्य करेंगे।
2. सभी चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन स्थिति से निबटने हेतु अतिरिक्त 20 (बीस) बेड के एक अलग कक्ष की व्यवस्था कर ली जाए, जिसका उपयोग आकस्मिकता के स्थिति में ही किया जा सकेगा।
3. जिला स्तर पर सदर अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालो में आपातकालीन स्थिति के लिए अतिरिक्त छः बेडो की व्यवस्था एक अलग कक्ष में किया जायेगा, जिसका उपयोग आकस्मिकता की स्थिति मे किया जा सकेगा।
4. जले हुए मरीजों के उपचार में आने वाले सभी जीवन रक्षक दवाओं/उपकरणों, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर एवं ट्राली की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।
5. उक्त आपात स्थिति हेतु एम्बुलेंस भी तैयार रखें जाये।
6. सभी सिविल सर्जन निर्देशित हैं कि जिला स्तर के अस्पतालों सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. आपात स्थिति में अनवरत कार्यरत "राज्य नियंत्रण कक्ष" राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के कॉल सेंटर दूरभाष संख्या–104 पर किसी भी प्रकार की सूचना या जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

उपरोक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

27.4.17

(डाo शशि रानी)
निदेशक प्रमुख (आपदा)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

D:\Old_Pc_Data E 2015\Deepawali-2013\Deepawali-letter.doc

ज्ञापांक 309 (11) पटना, दिनांक 27.04.2017

प्रतिलिपिः— माननीय उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंत भवन बिहार पटना को सूचनार्थ

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायाक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सभी संबंधित को ई मेल संप्रेषित करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेश के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.4.17

(डा0 शशि रानी)
निदेशक प्रमुख (आपदा)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।